उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3636/ग्यारह–2004–500(136)–2003 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई, 2004

अधिसूचना
आदेश

प0आ0–235

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0–5–3139/ ग्यारह– 2001– 500 (121) –2000, दिनांक 25 मई, 2001 और संख्या क0सं0वि0–5–3706/ग्यारह–98–500(20)–98, दिनांक 31 अगस्त, 1998 का आंशिक उपान्तर करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित देय स्टाम्प शुल्क को स्तम्भ–2 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित सीमा तक कम करते हैं, यदि उपर्युक्त बन्धक उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अधीन किसी वास्तविक प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया हो।

अनुसूची

लिखत का वर्णन	कमी की सीमा
1	2
(1) जब कब्जा न दिया जाये या दिये जाने के लिए अनुच्छेद 40 में यथाउल्लिखित करार किया जाये।	ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति धनराशि के लिए वही शुल्क जो बन्ध–पत्र (संख्या–15) पर देय है। जहॉ वह रुपये 100 से अधिक किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो, वहॉ 70 रुपये से 2 रुपये, और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100 रुपये या उसके भाग के लिए 70 रुपये से 2 रुपये।
(2) जब कोई संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति हो या ऊपर उल्लिखित प्रयोग के लिए अग्रतर बीमा के रूप में हो, जहॉ प्रधान या मुख्य प्रतिभूति सम्यक रूप से स्टाम्पित हो,–	
(क) ऐसे प्रत्येक प्रतिभूति रकम के लिए जो 1,000 रुपये से अधिक न हो;	दस रुपये प्रति हजार से दो रुपये प्रति हजार
(ख) 1,000 रुपये से अधिक प्रतिभूति प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए।	दस रुपये प्रति हजार से दो रुपये प्रति हजार।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट

रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following Government notification no. K.N.-5-3636/XI-2004-500(136)-2003 T.C. dated July 03, 2004 for general information:

No. K.N.-5-3636/XI-2004-500(136)-2003 T.C.

Lucknow, Dated July 03, 2004

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor in partial modification of Government notifications no. K.N.-5-3139/XI-2001-500(121)-2000, dated May 25, 2001 and no. K.S.V.-5-3706/XI-98-500(20)-98, dated August 31, 1998, is pleased to reduce from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty payable under clauses (b) and (c) of Article 40 of Schedule 1-B of the said Act mentained in Column-1 to the extent as mentioned against each in Column-2 of the Schedule below, if the aforesaid mortgage deed is executed for a bonafide industrial purpose under the Uttar Pradesh Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004.

SCHEDULE

Description of instrument	**Extent of reduction**
1	**2**
(1) When possession is not given or agreed to be given as mentioned in Article 40.	The same duty as Bond (No. 15) for the amount secured by such deed. Where it exceeds rupees 100 but does not exceed rupees 1,000, from rupees 70 to rupees 2, and for every additional rupees 100 or part thereof in excess of rupes 1,000, from rupees 70 to rupees 2.
(2) When a collateral or auxiliary or additional or substitute security, or by way of further assurance for the above mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped,-	
(a) for every sum secured not exceeding Rs. 1,000;	Rupees ten per thousand to rupees two per thousand,
(b) for every Rs. 1,000 or part thereof secured in excess of Rs. 1,000.	Rupees ten per thousand to rupees two per thousnd

By order,
Sd/- Ilegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.